न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–07/2024

फूलवा देवी एवं अन्य

बनाम्

बजरंग प्रसाद साहु एवं अन्य

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया आवेदिका फूलवा देवी पति–हलखोरी साव, सा0–रामपुर, टोला–बारी, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार वो सीमा देवी पति–रामनन्दन प्रसाद साहु, सा0+पो0–आन, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार न्यायालय के वाद संख्या–18/2021–22 में दिनांक–28.09.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनो पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षीगण द्वारा ग्राम–बरवाखाड़ के खाता संख्या–28 प्लॉट संख्या–39,104,105,17,19,44 एवं 45 रकबा–2.81 एकड़ भूमि फुलवा देवी पति–हलखोरी साव द्वारा निबंधित केवाला संख्या–1124/1118 दिनांक–14.08.2020 से खरीदा गया है। उक्त खरीदगी भूमि का दाखिल खारिज वाद संख्या–204R27/20-21 से दिनांक–13.11.2020 को अंचल अधिकारी, चंदवा द्वारा नामांतरण किया गया। विपक्षी द्वारा अंचल

16/7

अधिकारी, चंदवा के दाखिल खारिज वाद संख्या–204R27/20-21 के विरूद्ध न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार में दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–18/21–22 यह आरोप लगाते हुए दायर किया गया कि अपीलार्थी संख्या–01 फुलवा देवी हलखोरी साव की पत्नी नहीं है। वह नागेश्वर लोहरा की पत्नी है, जो ग्राम–सोहदाग, थाना+जिला–लातेहार की निवासी है एवं उसके पिता का नाम–पोहा लोहरा है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा बिना किसी साक्ष्य एवं दस्तावेज के अवलोकन किये बिना हीं विपक्षी के पक्ष में आदेश पारित करते हुए अंचल अधिकारी, चंदवा के दाखिल खारिज वाद संख्या–204R27/20-21 में दिनांक–13.11.2020 को पारित आदेश को निरस्त कर दिया गया।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी कथन है कि इस वाद में विपक्षी संख्या–4 योगेश्वर प्रसाद उर्फ योगेन्द्र प्रसाद द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, लातेहार के न्यायालय में सी0आर0पी0सी0 की धारा–144 के अन्तर्गत दाखिल आवेदन में स्वीकार किये है कि फुलवा देवी, हलखोरी साव की पत्नी है। मतदाता सूची में फुलवा देवी के पति का नाम हलखोरी साव स्पष्ट रूप से दर्ज रहने के बावजूद भी निम्न न्यायालय द्वारा इस बात की अनदेखी की गयी।

ग्रामपंचायत बारी के मुखिया द्वारा दिनांक–03.11.2023 के प्रमाण–पत्र में प्रमाणित किया गया है कि फुलवा देवी के पति का नाम हलखोरी साव है। फुलवा देवी द्वारा नियमसंगत तरीके से सीमा देवी के साथ भूमि का हस्तांतरण किया गया है, जो उनका स्वामित्व एवं दखल कब्जा की सम्पति थी। उक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–18/21–22 में दिनांक–28.09.2023 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षीगण

ग्राम–रामपुर, थाना–चंदवा के निवासी हलखोरी साव के वारिशान है। ग्राम–रामपुर, थाना–चंदवा, जिला–लातेहार में दो व्यक्ति का नाम हलखोरी साव था। एक हलखोरी साव के पिता का नाम परसो उर्फ पुसन साव थे, जिनके वारीसान विपक्षीगण है तथा ग्राम–आन में एक हलखोरी साव थे जिनके पिता का नाम शिवनारायण साव था, जिसके वारीशान अपीलार्थी संख्या–02 है। दोनों हलखोरी साव द्वारा ग्राम–बरवाखाड़ में रकबा–11.99 एकड़ भूमि अर्जन किया गया था। दोनों हलखोरी साव के मृत्यु के बाद आधे–आधे भूमि पर दोनों के वारीशान दखल–कब्जा में आये। अचानक से एक अंजान तथा बाहरी महिला स्वयं को विपक्षी की सौतेली माँ बताकर आवेदिका संख्या–02 सीमा देवी के साथ भूमि बिक्री करती है, जबकि उक्त विक्रेता फुलवा देवी पति–नागेश्वर लोहरा, पिता–पोहा लोहरा, जाति–लोहरा है तथा मायका ग्राम–रामपुर, थाना–चंदवा एवं ससुराल ग्राम–सोहदाग, थाना+जिला–लातेहार है। फुलवा देवी की जाति–आदिवासी (लोहरा) है। छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के तहत् भूमि बिक्री उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिबंधित है। विपक्षीगण द्वारा निबंधित बिक्री संख्या–404 दिनांक–27.01.2024 से वादग्रस्त भूमि को कान्ति देवी, पति–बजरंग साहु के साथ बिक्री कर दिया गया है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–18/21–22 को पारित आदेश सही एवं न्यायसंगत है। आवेदिकागण का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह पुनरीक्षण वाद भी मनगढ़ंत रूप से दाखिल किया गया है। उक्त आलोक में दाखिल खारिज पुनरीक्षण आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

दोनों पक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजो, लिखित जवाब एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह वाद फुलवा देवी द्वारा स्व0 हलखोरी साव के पत्नी के रूप में सीमा देवी पति रामनन्दन प्रसाद साहु के

साथ मौजा–बरवाखाड़ के खाता संख्या–28 प्लॉट संख्या–39,104,105,17,19,44 एवं 45 कुल रकबा–2.81 एकड़ निबंधित केवाला के माध्यम से विक्री की गई भूमि का अंचल अधिकारी, चंदवा द्वारा नामान्तरण वाद सं0–204R27/2020-21 से दिनांक–13.11.2020 को सीमा देवी के पक्ष में स्वीकृत किये जाने के विरूद्ध भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार न्यायालय में दायर दाखिल खारिज अपील वाद सं0–18/2021–22 में दिनांक–28.04.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध लाया गया है।

विपक्षी द्वारा अपने जबाब में भूमि के विक्रेता फुलवा देवी को हलखोरी साव की पत्नी नहीं होने बल्कि नागेश्वर लोहरा ग्राम–सोहदाग, थाना+जिला–लातेहार की पत्नी होने तथा फुलवा देवी की जाति–आदिवासी (लोहरा) एवं छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा–46 के तहत् भूमि बिक्री उपायुक्त की पूर्व अनुमति के बिना प्रतिबंधित होने की बात कही गई है।

आवेदिका द्वारा हलखोरी साव की पत्नी होने का साक्ष्य के रूप में मतदाता पहचान पत्र, बैंक पास बुक, आधार कार्ड आदि की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है, जिसमें पति का नाम हलखोरी साव ग्राम–रामपुर पो0–बारी थाना–चंदवा जिला–लातेहार दर्ज है। इसके अतिरिक्त अनुमंडल दण्डाधिकारी, लातेहार के विविध वाद सं0–503/2020 में योगेन्द्र प्रसाद पिता स्व0 हलखोरी साव सा0–बारी रामपुर थाना–चंदवा जिला–लातेहार द्वारा दाखिल आवेदन में द्वितीय पक्षकार के रूप में फुलवा देवी के पति का नाम स्व0 हलखोरी साव अंकित किया गया है।

ग्राम पंचायत–बारी के मुखिया द्वारा दिनांक–03.11.2023 के प्रमाण पत्र के अनुसार फुलवा देवी पति स्व0 हलखोरी साव ग्राम–रामपुर टोला–बरैनी थाना–चन्दवा जिला–लातेहार की रहने वाली है। स्व0 हलखोरी साव की दो पत्नी फुलवा देवी एवं केशरी देवी थी। फुलवा देवी के एक पुत्र महेन्द्र प्रसाद एवं केशरी देवी के चार पुत्र है।

मुखिया ग्रामपंचायत–बारी, प्रखण्ड चन्दवा एवं ग्रामप्रधान रामपुर द्वारा दिनांक 04.11.2022 के प्रमाण पत्र के अनुसार फुलवा देवी पिता–पोहा लोहरा ग्राम–रामपुर, पो0–बारी, थाना चन्दवा, जिला–लातेहार की शादी बालेश्वर लोहरा ग्राम–सोहदाग, थाना–लातेहार, जिला–लातेहार के साथ हुई थी, जो वहां से छुट कर अपने मायके रामपुर में रहती है।

मुखिया ग्रामपंचायत–बारी, प्रखण्ड चन्दवा एवं ग्रामप्रधान रामपुर द्वारा दिनांक 02.12.2022 के प्रमाण पत्र के अनुसार स्व0 हलखोरी साव पिता–स्व0 परसु साव, ग्राम–रामपुर, पो0–बारी, थाना–चन्दवा, जिला–लातेहार की पहली पत्नी केशरी देवी है तथा फुलवा देवी पत्नी नहीं है।

इस प्रकार ग्राम पंचायत बारी के मुखिया के प्रमाण–पत्र में एकरूपता नहीं है।

पंचायत समिति सदस्य पंचायत–बारी पूर्वी प्रखण्ड–चन्दवा के प्रमाण पत्र के अनुसार फुलो देवी एवं फुलवा देवी पति–स्व0 हलखोरी साव के नाम से जानी जाती है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से प्रतीत होता है कि यह वाद फुलवा देवी स्व0 हलखोरी साव की पत्नी है अथवा नहीं एवं स्वत्व निर्धारण से संबंधित है, जो इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः आवेदकगण के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार एवं अंचल अधिकारी, चंदवा को भेजे।

अभिलेख जिला अभिलेखागार में जमा करें।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.08.16 16:20:59 +05:30
Location: 192.168.5.143

16/8

उपायुक्त, लातेहार।

16/8

उपायुक्त, लातेहार।